फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही 2025/258

प्रार्थी / अपीलांट बनाम अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट

श्री श्रवण कुमार
निवासी नई धनारी
तहसील पिण्डवाडा
जिला सिरोही।

सरकार जरिये सहायक लोक सूचना अधिकारी
तहसीलदार पिण्डवाडा

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** मुकदमा नं 52 वर्ष 2025

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख का उस हुक्म की तामिल में जारी हुए
08.09.2025	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेसपोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार पिण्डवाडा को दिनांक 08.07.2025 को एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि गांव नई धनारी ग्राम पंचायत धनारी तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही में दिनांक 01.01.2005 से 30.12.2017 तक घरों के खारिज पट्टों की प्रतिलिपि एवं उनका विवरण पूरा नाम, मिसल नम्बर दिनांक सहित एवं पट्टा क्रमांक सहित प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10/– जमा करा दिए है। अपीलांट द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार पिण्डवाडा को दिनांक 08.07.2025 को एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि गांव नई धनारी ग्राम पंचायत धनारी तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही में दिनांक 01.01.2005 से 30.12.2017 तक घरों के खारिज पट्टों की प्रतिलिपि एवं उनका विवरण पूरा नाम, मिसल नम्बर दिनांक सहित एवं पट्टा क्रमांक सहित प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा मांगी गई उपरोक्त सूचना विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा से सम्बन्धित होने से सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार पिण्डवाडा द्वारा जरिए पत्र क्रमांक/आरटीआई/2025/181 दिनांक 08.07.2025 के द्वारा अपीलांट का मूल आवेदन ही विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा को स्थानान्तरित कर दिया गया था। चूंकि लोक सूचना अधिकारी विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा के प्रथम अपील अधिकारी जिला कलक्टर, सिरोही नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। निर्णय सर–ए–इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (अल्पा चौधरी) जिला कलक्टर, सिरोही	